प्रकरण सं0 ....अनवान.........

Continuation Note Sheet

2-8-19

वकील प्रार्थी उप0 प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि वे प्रार्थना पत्र में आगे कार्यवाही नहीं चाहते अतः प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर दाखिल दफ्तर फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली दायरा नम्बर से कम हो संलग्न मूल वाद रहे।

(मुकेश बारेठ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर